उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-124/2015/1320/71-1-2015-इ-32/2015
लखनऊ : दिनांक 29 जून, 2015
कार्यालय-ज्ञाप

डा0 राममिलन प्रसोत को संविदा के आधार पर मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में प्रवक्ता के पद पर तैनात/नियुक्त किए जाने के संबंध में कार्यालय ज्ञाप-47/2015/454/71-1-2015-जी-36/2015, दिनॉक 18-03-2015 निर्गत किया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 18-03-2015 के संलग्नक में क्रमांक-16 में त्रुटिवश डा0 राममिलन प्रसोत, पुत्र श्री श्रीराम प्रसोत के स्थान पर डा0 राममिलन प्रसाद, पुत्र श्री श्रीराम प्रसाद हो गया है।

2- इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 18-03-2015 के क्रमांक-16 को संशोधित करते हुए डा0 राममिलन प्रसोत, पुत्र श्री श्रीराम प्रसोत पढ़ा जाए।"

3- उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-47/2015/454/71-1-2015-जी-36/2015, दिनॉक 18-03-2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। विषयगत कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 18-03-2015 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

संजय कुमार उपाध्याय
संयुक्त सचिव।

संख्या:-124/2015/1320(1)/71-1-2015- तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।
6- मुख्य चिकित्साधिकारी, इलाहाबाद।
7- संबंधित चिकित्सा शिक्षक/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।